न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 26 / 2022 निगरानी

उनवान

1. ग्राम पंचायत, भगवानपुरा जरिये ग्राम विकास अधिकारी, कन्हैया लाल माली, ग्राम पंचायत भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

—निगराकार

बनाम

1. श्री कैलाशचन्द्र माली पिता मूलचन्द माली निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति, माण्डल जिला भीलवाडा।

—गैर निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज पंचायतीराज अधिनियम, निगरानी विरूद्व पट्टा संख्या 13 दिनांक 24.05.2017 द्वारा ग्राम पंचायत भगवानपुरा,

उपस्थित —
1. अधिवक्ता निगराकार — श्री सुरेश चन्द्र श्रीमाली, श्री दीपक श्रीमाली।
2. अधिवक्ता गैर निगराकार— श्री दिनेश सिसादिया।

निर्णय

दिनांक : 24 / 06 / 2025

1— निगराकार ग्राम पंचायत की ओर से निगरानी पेश कर निवेदन कि — गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा आबादी भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन निगराकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो, जिसे निगराकार के पूर्व सरपंच द्वारा बिना विधिक कार्यवाही किये बिना उक्त अधिनियम के तहत प्रावधानिक महत्वपूर्ण नियमों की पालना किये राज्यकोष को भारी क्षति पहुंचा, पंचायत भगवानपुरा से कृषि मण्डी चौराहा पर स्थित वाणिज्य भूखण्ड नपती 11 बाई 40 फिट आवेदन अनुसार का बापी पट्टा दिनांक 24 / 05 / 2017 जरिये पट्टा क्रमांक 13 निर्णय दिनांक 09.03.2017 गैर निगराकार सख्या 01 के पक्ष में जारी फरमा दिया जो कि सरासर गलत होकर अपास्त होकर पट्टा दिनांक 24 / 05 / 2017 खारिज होने योग्य है।

2— **राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 151 के तहत** अचल सम्पति की निलामी से पूर्व एक निलामी समिति का गठन किया जाना आवश्यक है व निलामी समिति को अचल सम्पति की निलामी किये जाने से पूर्व उसकी मार्केट वेल्यू ध्यान में रखना आवश्यक होता है व अन्तिम बोली इण्डेक्स रेट से कम नहीं होनी चाहिए यह भी एक आवश्यक शर्त निलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत अधिनियम में विद्यमान है। उक्त जारी पट्टे में निलामी की प्रतिवर्ग फिट राशि 110/— रूपये रखी गयी जबकि उक्त पट्टा वाणिज्य प्रयोजनार्थ जारी होकर उपपंजीयक माण्डल द्वारा तय बाजार दर (डी.एल.सी रेट) भगवानपुरा चौराहा रोड़ पर स्थित आबादी भूमि की वाणिज्य दर 270/— रूपये स्कवायर फीट है जो कि उक्त 440 वर्गफीट की किमत 270/— रूपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से 440X270 = 1,18,000/— रूपये बनती है व इसी अनुसार राशि भी ग्राम पंचायत को पट्टेधारी से वसूल किया जाकर पंचायत कोष में जमा करवानी वांछित थी, परन्तु जानबूझकर गैर निगराकार संख्या 01 को फायदा पहुंचाने व अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए मात्र 110/—रुपये के हिसाब से 48,400/— रूपये बिना निलामी प्रक्रिया

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा